मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 08/11/2024

क्र. IPI/5/0004/2024/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स शक्ति पम्प्स (इंडिया) लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर सेक्टर-7, जिला धार में दो चरणों में रूपये 225.45 करोड़ (प्रथम चरण- रू. 130.99 करोड़, व्दितीय चरण- रू. 94.46 करोड़) के स्थाई पूंजी निवेश से सोलर पम्पिंग सिस्टम तथा अन्य उत्पाद निर्माण इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2309230001) पर प्रथम चरण को निम्नानुसार सुविधायें प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जाता है-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** परियोजना को प्लांट-मशीनरी एवं भवन में किये गये निवेश पर 30 प्रतिशत की स्थिर दर से उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) अंतर्गत प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता शर्तो के अध्याधीन 7 वार्षिक किश्तों में प्रदान की जाये। परियोजना को रोजगार एवं निर्यात गणक का लाभ पात्रता अनुसार पृथक से प्राप्त होगा।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** परियोजना हेतु नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षों हेतु रू. 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

3. **विद्युत शुल्क से छूट-** परियोजना को नवीन विद्युत कनेक्शन पर देय विद्युत शुल्क से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्षो हेतु छूट प्रदान की जाये।

4. **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति-** परियोजना अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्ष में नियुक्त किये गये मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नवीन कर्मचारियों हेतु प्रति कर्मचारी रू. 13000/- की दर से प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा रू. 50 लाख तक, प्रदान की जाये।

5. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अंतर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

6. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

निरंतर............

7. स्वीकृत समस्त सुविधाओं का लाभ इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत एमपीआईडीसी में आवेदन प्रस्तुत करने पर प्राप्त होगा।

8. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(शाश्वत सिंह मीना)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. IPI/5/0004/2024/ए-ग्यारह
भोपाल, दिनांक 08/11/2024

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला- धार।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स शक्ति पम्प्स (इंडिया) लि., Plot No. 401,402. & 413, Industrial Area, Sector -3, Pithampur - 454774।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग